

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2017/84

दिनांक : 18/02/2017

**जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में
आशुलिपिक एवं आशुलिपिक ग्रेड-II (Stenographer & Stenographer Grade-II) के रिक्त पदों पर
सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा, 2017**

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित) (Rajasthan Subordinate Courts Ministerial Establishment Rules, 1986) (as amended) के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान के जिला न्यायालयों हेतु आशुलिपिक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों हेतु आशुलिपिक ग्रेड-II के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों हेतु नियमानुसार रुपये 13200/- (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Probationer Trainee) की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप (Online Format) में (अधोलिखित विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर) ऑनलाइन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। (दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें रनिंग पे बैंड-2 वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 3600 देय होगा)

विशेष नोट:-

- (1) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश (Instructions) एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का सचित्र विवरण (Pictorial Presentation), का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेवे, जो राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in>, समस्त जिला न्यायालय की वेबसाइट्स एवं ई-मित्र के पोर्टल <http://emitra.gov.in> पर उपलब्ध हैं।
 - (2) आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
 - (3) ऐसे आवेदक जो एन.सी.सी. के कैंडिडेट प्रशिक्षक या भूतपूर्व कैंदी के रूप में ऊपरी आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें बिन्दु संख्या (10) - "आवेदन प्रक्रिया" में उल्लेखित प्रक्रिया से ऑफलाइन (Offline) आवेदन करना होगा।
2. **रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण:-**
जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिये आशुलिपिक एवं आशुलिपिक ग्रेड-II (हिन्दी) के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण, जिलेवार एवं वर्गवार निम्न प्रकार है:-

(क) गैर-अनुसूचित क्षेत्र:-

| जिला न्यायक्षेत्र | | | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल | कुल पद |
|-------------------|---------------------------|---------|----------|---------------|-----------------|------------------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| अजमेर | जिला न्यायालय | Current | 9 (1) | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | - | - | - | 1 | |
| अलवर | जिला न्यायालय | Current | 5 (1) | 4 (1) | 2 | 3 (1) | 14 | 15 |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | - | - | - | 1 | |
| बालोतरा | जिला न्यायालय | Current | 5 (1) | - | - | - | 5 | 6 |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | - | - | - | 1 | |
| बारों | जिला न्यायालय | Current | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 5 |
| | | Backlog | - | 1 | - | - | | |
| भरतपुर | जिला न्यायालय | Current | 6 (1) | 1 (1) | 1 | 2 (1) | 10 | 10 |
| भीलवाड़ा | जिला न्यायालय | Current | 7 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 3 (1) | 16 (1PH) | 17 |
| | | Backlog | - | 1 | 1 | - | | |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | - | - | - | 1 | |
| बीकानेर | जिला न्यायालय | Current | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | - | - | - | 1 | |
| बून्दी | जिला न्यायालय | Current | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| चित्तौड़गढ़ | जिला न्यायालय | Current | 6 (2) | 2 | - | 1 | 11 (1PH) | 12 |
| | | Backlog | - | 1 | 1 | - | | |

18.2.17

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|----|
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | — | — | — | 1 | |
| चुरु | जिला न्यायालय | Current | — | — | — | — | 1 | 1 |
| | | Backlog | — | 1 | — | — | | |
| दौसा | जिला न्यायालय | Current | 2 | 2 | — | 1 | 5 | 5 |
| धौलपुर | जिला न्यायालय | Current | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | — | — | — | 1 | |
| हनुमानगढ़ | जिला न्यायालय | Current | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| जयपुर महानगर | जिला न्यायालय | Current | 7 (1) | 2 | 2 | 3 (1) | 14 | 15 |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | — | — | — | 1 | |
| जयपुर जिला | जिला न्यायालय | Current | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | — | — | — | 1 | |
| जैसलमेर | जिला न्यायालय | Current | 1 | — | — | 1 | 2 | 3 |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | — | — | — | 1 | |
| जालौर | जिला न्यायालय | Current | 3 | — | — | — | 3 (1PH) | 4 |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | — | — | — | 1 | |
| झालावाड़ | जिला न्यायालय | Current | 2 | — | 1 | 1 | 4 | 5 |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | — | — | — | 1 | |
| झुंझुनू | जिला न्यायालय | Current | — | 1 | 1 | — | 3 | 4 |
| | | Backlog | — | — | 1 | — | | |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | — | — | — | 1 | |
| जोधपुर महानगर | जिला न्यायालय | Current | 9 | 1 | 1 | 2 (1) | 19 | 21 |
| | | Backlog | — | 3 | 3 | — | | |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 2 | — | — | — | 2 | |
| करौली | जिला न्यायालय | Current | 4 (1) | — | — | 1 | 5 | 6 |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | — | — | — | 1 | |
| कोटा | जिला न्यायालय | Current | 7 (1) | 2 | 1 | 3 (1) | 13 | 15 |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 2 | — | — | — | 2 | |
| मेड़ता | जिला न्यायालय | Current | 3 | 1 | — | 2 | 9 | 10 |
| | | Backlog | — | 1 | 2 | — | | |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | — | — | — | 1 | |
| पाली | जिला न्यायालय | Current | 2 | 1 (1) | 1 (1) | 2 | 10 | 11 |
| | | Backlog | — | 2 | 2 | — | | |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | — | — | — | 1 | |
| राजसमन्द | जिला न्यायालय | Current | 3 | — | 1 | — | 4 | 5 |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | — | — | — | 1 | |
| सवाईमाधोपुर | जिला न्यायालय | Current | 5 (1) | 1 | — | 1 | 8 (1PH) | 9 |
| | | Backlog | — | 1 | — | — | | |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | — | — | — | 1 | |
| सिरोही | जिला न्यायालय | Current | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | — | — | — | 1 | |
| श्रीगंगानगर | जिला न्यायालय | Current | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| टोंक | जिला न्यायालय | Current | 5 (1) | 1 | 1 | — | 7 | 8 |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | — | — | — | 1 | |
| उदयपुर | जिला न्यायालय | Current | 6 (1) | 1 | — | 1 | 8 | 9 |
| | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | Current | 1 | — | — | — | 1 | |

(कॉलम संख्या 4 से 7 में कोष्ठक में दर्शाये गये पद महिलाओं हेतु आरक्षित हैं।)

18.2.17

(ख) अनुसूचित क्षेत्र:-

| जिला न्यायक्षेत्र | | | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल | कुल पद |
|----------------------------|---------------|---------|---------|---------------|-----------------|-----|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| बाँसवाड़ा | जिला न्यायालय | Current | 2 | — | 1 | 6 | 7 |
| | | Backlog | — | — | 3 (1) | | |
| डूंगरपुर | जिला न्यायालय | Current | — | — | — | 2 | 3 |
| | | Backlog | — | — | 2 | | |
| प्रतापगढ़ | जिला न्यायालय | Current | 1 | — | — | 3 | 4 |
| | | Backlog | — | — | 1 | | |
| सिरोही— आबू रोड खण्ड | जिला न्यायालय | Current | 1 | — | — | 1 | 1 |
| | | Backlog | — | — | — | | |

(कॉलम संख्या 4 से 6 में कोष्ठक में दर्शाये गये पद महिलाओं हेतु आरक्षित हैं।)

जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिये आशुलिपिक एवं आशुलिपिक ग्रेड-II (अंग्रेजी) के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण, जिलेवार एवं वर्गवार निम्न प्रकार है:-

(क) गैर-अनुसूचित क्षेत्र:-

| जिला न्यायक्षेत्र | | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल पद |
|-------------------|---------|----------|---------------|-----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अजमेर | Current | 2 | — | — | — | 2 |
| अलवर | Current | 2 | — | — | — | 2 |
| बालोतरा | Current | 1 | — | — | — | 1 |
| बारों | Current | 1 | — | — | — | 1 |
| भरतपुर | Current | 2 | — | — | — | 2 |
| भीलवाड़ा | Current | 1 | — | — | — | 1 |
| बीकानेर | Current | 1 | — | — | — | 1 |
| बून्दी | Current | 2 | — | — | — | 2 |
| चित्तौड़गढ़ | Current | 2 | — | — | — | 2 |
| चुरु | Current | 1 | — | — | — | 1 |
| धौलपुर | Current | 1 | — | — | — | 1 |
| हनुमानगढ़ | Current | 2 | — | — | — | 2 |
| जयपुर महानगर | Current | 3 (1) | — | — | — | 3 |
| जयपुर जिला | Current | 2 | — | — | — | 2 |
| जैसलमेर | Current | 1 | — | — | — | 1 |
| जालौर | Current | — | — | — | — | 1 |
| | Backlog | — | — | 1 | — | |
| झालावाड़ | Current | 1 | — | — | — | 1 |
| झुंझुनू | Current | 1 | — | — | — | 1 |
| जोधपुर महानगर | Current | 1 | — | — | — | 1 |
| जोधपुर जिला | Current | 1 | — | — | — | 1 |
| करोली | Current | 1 | — | — | — | 1 |
| कोटा | Current | 2 | — | — | — | 2 |
| मेड़ता | Current | 2 | — | — | — | 2 |
| पाली | Current | 2 | — | — | — | 2 |
| राजसमन्द | Current | 1 | — | — | — | 1 |
| सीकर | Current | 1 | — | — | 1 (1) | 2 |
| सिरोही | Current | 1 | — | — | — | 1 |
| श्रीगंगानगर | Current | 2 | — | — | — | 2 |
| टोंक | Current | 1 | — | — | — | 1 |
| उदयपुर | Current | 1 | — | — | — | 1 |

(कॉलम संख्या 3 से 6 में कोष्ठक में दर्शाये गये पद महिलाओं हेतु आरक्षित हैं।)

18.2.17

(ख) अनुसूचित क्षेत्र:-

| जिला न्यायक्षेत्र | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल पद | |
|-------------------|---------|---------------|-----------------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| बाँसवाड़ा | Current | 1 | — | — | 1 |
| डूंगरपुर | Current | — | — | — | 1 |
| | Backlog | — | — | 1 | |
| प्रतापगढ़ | Current | 1 | — | — | 1 |

नोट:-

- उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।
- महिला एवं नि:शक्तजन (विशेष योग्यजन) को क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार देय होगा।
- महिलाओं हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग) की महिला आवेदक चयनित होगी, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसकी वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।
- नि:शक्तजन के आरक्षण के संन्दर्भ में:-

(अ) Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 के अनुसार नि:शक्तजन के लिए 3% पद आरक्षित हैं जिनमें से 1% पद Locomotor Disability & Cerebral Palsy (L.D. & C.P.), 1% Hearing Impaired एवं 1% Visual Impaired प्रत्येक अक्षमताओं की प्रकृति वाले आवेदकों के लिये आरक्षित है। उक्त आरक्षित पद निम्न प्रकार से अभिव्यक्त की गई अक्षमताओं के आवेदकों हेतु हैं:-

Locomotor Disability & Cerebral Palsy (L.D. & C.P.)

- O.L. — One leg affected (R or L)
 B.L. — Both leg affected (Mobility not to be restricted)
 O.A. — One Arm affected (R or L)
 O.A.L. — One Arm & One Leg affected (Mobility not to be restricted)

Visual Impaired (Blind & Low Vision)

- B — Blind (Mobility not to be restricted)
 LV — Low Vision (Mobility not to be restricted)

Hearing Impaired

- HH — Hearing Impaired

किन्तु (1) अभ्यर्थी की गतिशीलता एवं द्विपक्षीय हस्त गतिविधियाँ (सक्रियता) पर्याप्त होनी चाहिए। (Mobility and bilateral hand activities of the candidate should be adequate).

(2) अभ्यर्थी के पास साधनों एवं उपकरणों द्वारा कार्यात्मक संप्रेषण कौशल होना चाहिए। (candidate should have functional communication skills with aids and devices).

- (ब) नि:शक्तजन हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग/महिला) का नि:शक्त आवेदक चयनित होगा, उसे संबंधित श्रेणी (Category), जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जावेगा।
- (स) नि:शक्तजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी नि:शक्तता के संबंध में Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 के एवं निदेशालय, विशेष योग्यजन, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्र. एफ16(1)वी.यो./15/7970 दिनांक 16/9/2015 के अनुसार सम्पूर्ण भारतवर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 के अनुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत या इससे अधिक नि:शक्तता दर्शाते हुए जारी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र धारक आवेदक ही नि:शक्तजन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जायेगा।

- राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
- महिला एवं नि:शक्तजन (विशेष योग्यजन) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को भी विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जावेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा वृहत् प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करें।
- भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाट समुदाय के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. सिविल रिट संख्या 6046/1999 रतनलाल बागड़ी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.08.2015 के प्रकाश में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें।
- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जावेगा।
- विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- सामान्य वर्ग के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।

18.2.17

- अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय उपरोक्त वर्णित जिला न्यायक्षेत्रों में से किन्हीं पांच जिला न्यायक्षेत्रों का प्राथमिकतानुसार चयन करना होगा। सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशांसा, वरीयता के आधार पर यथासंभव उनके द्वारा चयनित पांच जिला न्यायक्षेत्रों में से प्राथमिकता के अनुसार किसी एक न्यायक्षेत्र हेतु की जावेगी। प्राथमिकतानुसार पांच जिलों में चयन नहीं होने की स्थिति में भर्ती प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी का नाम किसी भी न्यायक्षेत्र में नियुक्ति हेतु अनुशांसित कर सकेगा, जिसमें वह उचित समझे।
- गैर अनुसूचित क्षेत्रों के निवासी आवेदन के लिए जिलों का चयन करते समय अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों को चयन नहीं करें।
- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के संबंधित अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र का स्पष्ट रूप से चयन करें। अनुसूचित क्षेत्र का चयन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के निवासी आवेदन के लिए जिलों का चयन करते समय उनके एक अनुसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त चार अन्य गैर-अनुसूचित क्षेत्र के जिलों का भी प्राथमिकता के अनुसार चयन कर सकते हैं।
- उदयपुर के अनुसूचित क्षेत्र में रिक्तियाँ नहीं होने के कारण अनुसूचित क्षेत्र में नहीं दर्शायी गयी है।

3. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-**

A candidate for direct recruitment to the post of Stenographers/Stenographers Grade-II must have passed the Senior Secondary Examination in Arts or Science or Commerce of the Rajasthan Board of Secondary Education or an Examination equivalent thereto recognized by the Government or any Higher Examination and must possess a good working knowledge of Hindi as written in Devanagri script & of Rajasthani Dialects and must have passed -

"O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India;

or

Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation & Computer Software (DPCS) certificate organized under National/State council of Vocational Training Scheme;

or

Diploma in Computer Science/ Computer Applications from any university established by Law in India or from an institution recognized by the Government;

or

Diploma in Computer Science & Engineering from a Polytechnic Institution recognized by the Government;

or

Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) Conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited;

or

Senior Secondary School Examination with Computer Science as an optional subject;

or

Any equivalent or higher qualification.

4. **राष्ट्रीयता:-**

A candidate for appointment to the service must be:-

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Nepal, or
- (c) a subject of Bhutan, or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1 st January, 1962 with the intention of permanently settling in India.
- (e) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:
Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) & (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the Government of India, and if he belongs to category (e) the certificate of eligibility will be issued for a period of one year, after which such a candidate will be remained in service subject to his having acquired Indian citizenship.

5. **आयु:-**

A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 35 years on the last date fixed for submission of the application.

Provided that:-

- (i) the upper age limit shall be relaxed by 5 years in the case of a member of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.
- (ii) the upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of women candidates.
- (iii) the upper age limit for reservists, namely defence services personnel transferred to the reserve shall be 50 years.


18.2.17

- (iv) the upper age limit shall be relaxable for a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors & if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than 3 years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
- (v) there shall be no restriction as to age for a candidate already serving in connection with the affairs of the State in a substantive or temporary capacity, having been so appointed prior to his attaining the age of 35 years.
- (vi) there shall be no age limit in case of persons repatriated from East African countries of Kenya, Tanganyika, Uganda & Zanzibar.
- (vii) that the upper age limit mentioned above shall not apply in case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under the Rules.
- (viii) that in the case of other ex-prisoner the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him provided he was not over age before conviction and was eligible for appointment under the Rules.
- (ix) there shall be no age limit in the case of widows and divorcee women.

Explanation: In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in the case of divorcee she will have to furnish the proof of divorce.

- (x) the upper age limit for the Persons with Disabilities shall be relaxed by:-
 (i) 10 years for candidates belonging to General Category.
 (ii) 13 years for candidates belonging to O.B.C./S.B.C. Category.
 (iii) 15 years for candidates belonging to S.C and S.T. Categories.

6. **परीक्षा शुल्क:-**

उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा निम्न राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय होगी:-

| सामान्य श्रेणी | अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विधवा महिला/ परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला/ निःशक्तजन (विशेष योग्यजन) |
|----------------|------------------------------------|---|
| 100/- | 100/- | 25/- |

7. **परीक्षा शुल्क की वापसी:-**

परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता। विज्ञापन निरस्तीकरण की दशा में ही परीक्षा शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी।

8. **नियुक्ति के लिए निरर्हताएँ:-**

1. No male candidate who has more than one wife living shall be eligible for appointment to the Service unless Government after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any male candidate from the operation of this rule.
2. No female candidate who is married to a person having already a wife living shall be eligible for appointment to the service unless Government after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any female candidate from the operation of this rule.
3. No married candidate shall be eligible for appointment to the service if he/she had at the time of his/her marriage accepted any dowry.
4. No candidate shall be eligible for appointment, if he has more than two children.

Provided that the candidate having more than two children on date of commencement of these rules shall not be deemed to be disqualified.

Provided further that where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child is born out of single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

Provided also that for the purpose of this sub rule birth of a child within 280 days from the date of commencement of these rules shall not constitute disqualification.

नोट :- राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित) का नियम 20 (4) दिनांक 30.07.2010 से प्रवृत्त (Commence) हुआ है।

9. **परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम:-**

Competitive examination for the posts of Stenographers/Stenographers Grade-II shall consist of the subject given in two alternative **Group A** and **B**. A candidate shall be required to pass the subject group of the post applied and required to pass Group C compulsorily:-

18.2.17

Group – A (English)

English Shorthand Test:

| | Paper | Duration | Marks |
|----|---|------------|-------|
| 1. | Dictation of 100 words per minutes | 6 Minutes | 100 |
| 2. | Transcription and typing of dictated passage in English on Computer | 50 Minutes | |

Group – B (Hindi)

Hindi Shorthand Test:

| | Paper | Duration | Marks |
|----|---|------------|-------|
| 1. | Dictation of 80 words per minutes | 6 Minutes | 100 |
| 2. | Transcription and typing of dictated passage in Hindi on Computer | 50 Minutes | |

Group - C

Computer Test:

| | Paper | Duration | Marks | Minimum Marks |
|----|-----------------|------------|-------|---------------|
| 1. | Speed Test | 10 Minutes | 50 | 20 |
| 2. | Efficiency Test | 10 Minutes | 50 | 20 |

- Minimum speed should be 8000 key depressions per hour on computer.
- The Language of Speed and Efficiency Test would be same as the Language of Shorthand Test.
- The marks in the Speed Test shall be awarded as per the following formula:
(20/8000) x Net Speed (in depressions per hour)
- Syllabus for Efficiency Test shall be as follows:
 1. The test may be taken on word processing software.
 2. It shall include formatting of text, paragraph, page and table using proper methods.
 3. Formatting of letter.

NOTE : The font for Shorthand and Computer Test shall be "Krut Dev 010" for Hindi and "Calibri" for English.

INTERVIEW

Interview shall be held after declaration of result of Shorthand & Computer Test and number of candidates to the extent of three times of number of vacancies shall be called for Interview.

10. आवेदन प्रक्रिया:-

1. **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :-** किसी भी आवेदक द्वारा **Online Application** निम्न प्रकार भरा जा सकता है:-

- स्वयं के स्तर पर :-** यदि समुचित संसाधन यथा; इन्टरनेट सुविधायुक्त डेस्कटॉप कम्प्यूटर/लैपटॉप उपलब्ध हो तो अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेन्सी (साईबर कैफे आदि) के माध्यम से आवेदन पत्र भर कर परीक्षा शुल्क जमा करवा सकता है।
- राज्य सरकार के अधीन संचालित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से :-** किसी आवेदक द्वारा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन भरने व परीक्षा शुल्क जमा कराने की स्थिति में उसे रुपये 25/- की राशि संबंधित ई-मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जावेगी। राज्य सरकार के अधीन संचालित ई-मित्र कियोस्क की सूची, दूरभाष नम्बर व अन्य आवश्यक सूचनाएँ ई-मित्र के पोर्टल <http://emitra.gov.in> पर उपलब्ध है।

नोट :-

- (1) **Online Application** भरने में सुविधा के लिए आवेदक सर्वप्रथम आवेदन-पत्र का प्रारूप (Format) राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट <http://www.hcraj.nic.in> से डाउनलोड कर उसे हाथ से भर लें तथा आश्वस्त हो जावें कि सभी प्रविष्टियाँ सही-सही भरी गयी हैं।
- (2) तत्पश्चात् आवेदक राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट <http://www.hcraj.nic.in> पर उपलब्ध लिंक "Stenographer (Rajasthan Subordinate Courts Ministerial Establishment Rules, 1986)" पर क्लिक करें, जिस पर ऑनलाइन आवेदन खुलेगा, उसे पूर्ण रूप से भरें।
- (3) आवेदन भरने के बाद "Make Payment" पर क्लिक करने पर Reference Number प्राप्त (Generate) होगा जिसे आवेदक नोट कर लें।
- (4) भुगतान का Transaction fail होने की स्थिति में आवेदक उच्च न्यायालय की वेबसाईट <http://www.hcraj.nic.in> पर उपलब्ध लिंक "Stenographer (Rajasthan Subordinate Courts Ministerial Establishment Rules, 1986)" पर क्लिक करके Reference Number की सहायता से पुनः "Make Payment" पर क्लिक करके भुगतान कर पायेगा।
- (5) भुगतान का **Transaction Fail** होने की स्थिति में **Reference Number** से ही भुगतान हो पायेगा। अगर **Reference Number** प्राप्त नहीं होता है अथवा नोट नहीं किया गया है तो नया आवेदन भरना होगा।
- (6) ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से **Online Application** भरने की स्थिति में आवेदक ई-मित्र कियोस्क के संचालक से आवेदन-पत्र का प्रारूप (Format) प्राप्त कर लें तथा प्रारूप को हाथ से भर कर आश्वस्त हो

18.2.17

- जावें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गयी हैं तत्पश्चात् उसे ई-मित्र कियोस्क के संचालक को **Online Application** तदनुसार भरने हेतु प्रस्तुत करें ताकि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी जा सकें।
- (7) आवेदक को आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज के फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन इमेज (Scanned Image) अपलोडिंग हेतु तैयार रखनी चाहिए। ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से **Online Application** भरने की स्थिति में ऐसी इमेज आवेदक द्वारा पेन ड्राईव में रक्षित कर संबंधित ई-मित्र कियोस्क संचालक को प्रस्तुत की जा सकती है।
- (8) आवेदक द्वारा **Online Application** भरने एवं परीक्षा शुल्क के सफल भुगतान पर उसे एक आवेदन-पत्र क्रमांक (Application-ID) प्राप्त (Generate) होगा जो इस बात का निश्चयात्मक सबूत होगा कि आपका ऑनलाईन आवेदन रजिस्ट्रार (परीक्षा) के कार्यालय में दर्ज हो चुका है। अतः परीक्षा शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान के पश्चात् आवेदक भरे गये आवेदन का प्रिन्ट-आउट (Print-out) प्राप्त कर सुरक्षित रख लें। **आवेदन-पत्र क्रमांक (Application-ID) की अप्राप्ति इस तथ्य का द्योतक है कि आवेदक के परीक्षा शुल्क का सफल भुगतान नहीं हो पाया है तथा अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से रजिस्ट्रार (परीक्षा) के कार्यालय में दर्ज नहीं हुआ है। परीक्षा शुल्क के सफल भुगतान के अभाव में आवेदक परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा।**
- (9) राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट <http://www.hcraj.nic.in> से ऑनलाईन आवेदन (Online Application) का प्रिन्ट-आउट (Print-out) पुनः लेने हेतु एवं रजिस्ट्रार (परीक्षा) को किये जाने वाले समस्त पत्राचार हेतु आवेदन-पत्र क्रमांक (Application-ID) की आवश्यकता होगी इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर ले कि उन्हें आवेदन-पत्र क्रमांक (Application-ID) प्राप्त हो गया है। किसी कारणवश ऑनलाईन आवेदन भरने एवं सफल भुगतान करने के उपरान्त भी यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application-ID) प्राप्त नहीं होता है तो आवेदक तुरन्त हेल्प लाईन (0291-2541042, 2541388) पर अथवा जरिये ई-मेल (rhcxam-rj@nic.in), रजिस्ट्रार (परीक्षा) के कार्यालय में संपर्क करें।
- (10) राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट <http://www.hcraj.nic.in> से आवेदक (i) अपनी **जन्म दिनांक (Date of Birth)** एवं (ii) **आवेदन-पत्र क्रमांक (Application-ID)** के आधार पर अपने ऑनलाईन आवेदन (Online Application) का प्रिन्ट-आउट (Print-out) वेबसाईट से पुनः प्राप्त (Download) कर सकता है।
- (11) परीक्षा शुल्क की राशि, ऑनलाईन आवेदन-पत्र (Online Application) भरने की अंतिम दिनांक के पश्चात् तीन दिन तक अर्थात् **Online Application** के पोर्टल के निष्क्रिय होने के पश्चात् 72 घन्टे तक जमा की जा सकेगी। उसके पश्चात् किसी भी स्थिति में जमा नहीं की जा सकेगी।
- (12) डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग या एम-वैलेट के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु उपलब्ध **Payment Gateway** की सूची एवं उनके द्वारा वसूली योग्य शुल्क **Processing Charges** का विवरण ई-मित्र के पोर्टल <http://emitra.gov.in> पर उपलब्ध है।
- (13) साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन करने की स्थिति में साइबर कैफे द्वारा वसूल किये जाने वाले सेवा शुल्क की राशि स्वयं आवेदक द्वारा वहन की जायेगी।
- (14) ऑन-लाईन आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु **Instructions** (दिशा-निर्देश) एवं ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया का सचित्र विवरण (Pictorial Presentation), विस्तृत रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट <http://www.hcraj.nic.in>, समस्त जिला न्यायालय की वेबसाईट्स एवं ई-मित्र के पोर्टल <http://emitra.gov.in> पर उपलब्ध हैं।
- (15) ई-मित्र कियोस्क या ई-मित्र पोर्टल के संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई/जानकारी/सहायता के लिए ई-मित्र के पोर्टल www.emitra.gov.in पर उपलब्ध **Link 'Help Desk'** पर जाकर ई-मित्र के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से सम्पर्क करने के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है अथवा निम्न पर भी सम्पर्क किया जा सकता है :-
- CCC (Citizen Contact Center)**
Number (Toll Free) 1800 180 6127
e-mail ID- ccc.emitra@gmail.com
 - Contact at e-Mitra Technical Support**
CSE - Customer Support Engineer –
Contact Number – 0141-6450126, 0141-6450109
e-mail ID- helpdesk.emitra@rajasthan.gov.in
 - Contact for issues relating to payment of examination fee through Debit Card/Credit Card/Net Banking or m-Wallet**
e-mail ID- fundmanager.emitra@rajasthan.gov.in
2. **ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (केवल एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षक एवं भूतपूर्व कैदी के रूप में ऊपरी आयु सीमा में छूट चाहने वाले आवेदकों हेतु) :-**
- ऐसे आवेदक जो एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षक या भूतपूर्व कैदी के रूप में ऊपरी आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
 - ऑफलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट <http://www.hcraj.nic.in> पर उपलब्ध आवेदन पत्र के प्रारूप का प्रिंट आउट लेकर समस्त सुसंगत सूचनाएं भरकर एवं निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार का छायाचित्र चस्पा कर एवं अपने हस्ताक्षर सहित ऐसे आवेदन पत्र को **रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर** के कार्यालय में व्यक्तिशः या स्पीड पोस्ट द्वारा इस प्रकार प्रेषित करना होगा कि आवेदन अंतिम दिनांक **21.03.2017 (कार्यालय समय)** तक उक्त कार्यालय में प्राप्त हो जाए।
 - ऑफलाइन आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजों की एक-एक सत्य प्रतिलिपि, जिनके आधार पर वे ऐसी छूट का दावा करते हैं, प्रेषित करनी होगी, साथ ही निर्धारित परीक्षा शुल्क के भुगतान हेतु भारतीय पोस्टल ऑर्डर, जो कि **रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर** के पक्ष में देय हो, संलग्न करना आवश्यक होगा।

18.2.17

- 4) ऐसे आवेदन पत्रों की, इस कार्यालय द्वारा, संलग्न दस्तावेजों के आधार पर पात्रता की जाँच की जाएगी तत्पश्चात् नियमानुसार पात्र पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाएंगे एवं ऐसे आवेदकों को आवेदन पत्र क्रमांक (**Application ID**) आवंटित कर उनकी ई-मेल आई.डी. अथवा मोबाइल नम्बर पर प्रेषित कर दिए जाएंगे।

नोट :- अन्य सभी आवेदक, केवल ऑनलाइन ही आवेदन करें। **हाथ से भर कर या अन्य किसी भी रूप में प्रेषित आवेदन-पत्र किसी भी स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

11. **आवेदन करने की समय सीमा :-**

1. **ऑनलाइन आवेदन (Online Application) :-**

ऑनलाइन आवेदन (Online Application) भरने की समय सीमा दिनांक **22.02.2017** को प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ होकर अन्तिम दिनांक **18.03.2017** को रात्रि 11:59 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत ऑनलाइन आवेदन के पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के अन्दर यथाशीघ्र ऑनलाइन आवेदन करें एवं परीक्षा शुल्क जमा करावें। ई-मित्र कियोस्क के जरिये अथवा स्वयं के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम दिनांक के पश्चात् तीन दिन तक अर्थात् **21.03.2017** को 11:59 pm तक जमा करा सकेंगे। उसके पश्चात् किसी भी स्थिति में जमा नहीं करा सकेंगे।

2. **ऑफलाइन आवेदन (Offline Application) :-**

एन.सी.सी. के कैंडिडेट प्रशिक्षक या भूतपूर्व कैदी के रूप में ऊपरी आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक के पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र मय समस्त दस्तावेज एवं परीक्षा शुल्क, रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय में दिनांक **21.03.2017** (कार्यालय समय) तक व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा अवश्य पहुंच जाने चाहिए। तत्पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

12. **आवेदन कैसे करें :-**

कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के तहत आवेदन करने का पात्र है, वह उस श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे।

नोट :- राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दें:-

- ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के तहत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाइन आवेदन में आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। इसलिए ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने एवं Application ID प्राप्त होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र विचारार्थ स्वीकार किया जाएगा।

13. **महत्वपूर्ण तिथियां :-**

- ऑनलाइन आवेदन भरने की समय सीमा दिनांक : **22.02.2017** से **18.03.2017** रात्रि 11:59 बजे तक।
 - ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम दिनांक : **21.03.2017** रात्रि 11:59 बजे तक।
 - ऑफलाइन आवेदन* मय परीक्षा शुल्क भरने की समय सीमा दिनांक : **22.02.2017** से **21.03.2017** (कार्यालय समय) तक।
- (*केवल एन.सी.सी. के कैंडिडेट प्रशिक्षक या भूतपूर्व कैदी के रूप में ऊपरी आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक)

14. **परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक :-**

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्रलिपि एवं कम्प्यूटर परीक्षा राज्य के सभी सम्भागीय जिला मुख्यालयों यथा अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर पर लिये जाने की संभावना है। आवेदक उपरोक्त सात सम्भागीय जिला मुख्यालयों में से किन्हीं तीन सम्भागीय जिला मुख्यालयों का परीक्षा केन्द्र के रूप में प्राथमिकतानुसार चयन करेगा। किसी भी आवेदक द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में एक बार चयनित कर लिए गए तीन जिला मुख्यालयों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, अतः आवेदक ऑनलाइन आवेदन में परीक्षा केन्द्र के रूप में जिला मुख्यालयों का नाम चयन करने से पूर्व भली प्रकार विचार कर लें। प्राप्त आवेदनों की संख्या को देखते हुए शीघ्रलिपि एवं कम्प्यूटर परीक्षा के केन्द्रों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी अथवा परीक्षा आयोजित किये जाने के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। **शीघ्रलिपि एवं कम्प्यूटर परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना पृथक से जरिये वेबसाइट प्रसारित की जाएगी।** साक्षात्कार हेतु स्थान, दिनांक एवं समय सारणी के संबंध में सूचना पृथक से शीघ्रलिपि एवं कम्प्यूटर परीक्षा के परिणाम के पश्चात जारी की जायेगी।

15. **अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-**

राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में मौलिक/अस्थायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों, जो कि नियमानुसार पात्रता धारक हो, को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को आवेदक द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

[Handwritten Signature]
18.2.17

16. **प्रवेश-पत्र (Admission Card) :-**

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **प्रवेश-पत्र वेबसाईट** <http://www.hcranj.nic.in> के माध्यम से Online ही जारी किए जाएंगे तथा **डाक से कोई प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा**। परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के रोल नम्बर एवं प्रवेश-पत्र जारी किए जाने की सूचना वेबसाईट के माध्यम से शीघ्र जारी की जाएगी। आवेदक (i) अपनी **जन्म दिनांक (Date of Birth)** एवं (ii) **आवेदन-पत्र क्रमांक (Application-ID)** के आधार पर अपना प्रवेश-पत्र वेबसाईट से प्राप्त (**Download**) कर सकेगा। एन.सी.सी. के कैंडिडेट प्रशिक्षक या भूतपूर्व कैदी के रूप में ऊपरी आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक, जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है, को उनकी **आवेदन-पत्र क्रमांक (Application-ID)** की सूचना उनके द्वारा संसूचित मोबाइल नं./ई-मेल **आई.डी. (e-Mail ID)** पर प्रेषित कर दी जाएगी। अतः ऐसे आवेदक भी अपना प्रवेश पत्र उपरोक्तानुसार प्राप्त (**Download**) कर सकेंगे। **इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।** उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के अनुसार प्रवेश-पत्र जारी करने सम्बन्धी सूचना आवेदक की **ई-मेल आई.डी. (e-Mail ID)** एवं **मोबाइल नम्बर** पर भी भेजी जा सकती है, अतः **अभ्यर्थी अपना स्वयं का ही मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. (e-Mail ID) आवेदन पत्र में आवश्यक रूप से अंकित करें।** अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं।

17. **महत्वपूर्ण सूचनाएँ:-**

- (1) समस्त अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण-पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (claim) करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा संबंधित जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर (on being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- (2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।
- (3) परीक्षा का परिणाम केवल सफल अभ्यर्थियों को ही पृथक से संसूचित किया जायेगा किन्तु सम्पूर्ण परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेब साईट <http://www.hcranj.nic.in> पर अपलोड करके भी संसूचित किया जायेगा।
- (4) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा-कक्ष/परीक्षा-केन्द्र के परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) तथा पर्स इत्यादि कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएं, जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश-पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है।
- (5) जिस परिसर में भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर या अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) रखने की अनुमति नहीं है। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय, किसी की भी नहीं होगी।
- (6) परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यतः पालना करनी होगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर रोक सहित समुचित कानूनी एवं अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
- (7) ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है, उनको ही **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश-पत्र जारी कर दिये जाने का यह अर्थ नहीं है कि **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन में की गयी प्रविष्टियां **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा सही और ठीक मान ली गई है। **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन/महिला/विधवा/तलाकशुदा/राज्य कर्मचारी आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
- (8) **अनुचित साधनों की रोकथाम :-** परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में **अनुचित साधनों** का प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (9) कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण का (Impersonation) या कूट रचित/छेड़छाड़ युक्त दस्तावेजात को प्रस्तुत करने (Submitting Fabricated or Tempered with Documents) का या अशुद्ध/असत्य कथन करने (Making Incorrect or False Statements) का या तात्त्विक सूचनाओं को छिपाने का (Suppressing Material Information) या परीक्षा में या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या करने का प्रयास करने का (Using or Attempting to use Unfair Means in the Examination or Interview) या अन्यथा परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने या किसी साक्षात्कार हेतु बुलावा प्राप्त करने हेतु अन्य किसी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेने का (Otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or appearance at any interview) दोषी पाया जाता है या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किया जाता है, वह आवेदक/परीक्षार्थी स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के साथ-साथ राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी परीक्षा में प्रवेश लेने से या किसी भी साक्षात्कार में उपस्थित होने से स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित (Debarred) कर दिया जाएगा या राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन प्राप्त करने से वंचित (Debarred) कर दिया जाएगा।

राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट एवं हैल्प लाईन:-

आवेदक, राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट <http://www.hcranj.nic.in> पर उपलब्ध सूचनाओं से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सहायता/ मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा इस परीक्षा के लिए संचालित की जाने वाली **हैल्प लाईन (Help Line)** के दूरभाष सं० **0291-2541042, 2541388** पर कार्यालय समय के दौरान (during office hours) तथा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिसर में स्थापित कन्ट्रोल रूम पर व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

आवश्यकता होने पर समस्त पत्र व्यवहार रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित किया जावे।

रजिस्ट्रार (परीक्षा)

18.2.17